

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

634

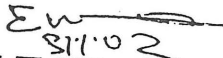
क्रमांक:-प.4/3/नवि/5/2002

जयपुर, दिनांक:- 31 जनवरी 2002

: संशोधन :
=====

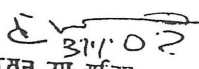
स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1/ग/ नियम/डी.एन.बी/2001
दिनांक 1.1.2002 में पैरा नं. 7 के पश्चात एवं पैरा 8 के पूर्व एक नया पैरा 7-ए
निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

" 7-ए नगर सुधार न्यायो में निहित भूमि के सम्बन्ध में नियमन समिति
में अध्यक्ष, सम्बन्धित न्याय, सचिव, न्याय, एवं क्लर्क द्वारा मनोनीत अधिकारी
होगा तथा जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित भूमि के सम्बन्ध में समिति में
सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, सम्बन्धित जोन के उपायुक्त एवं उप नगर निरीक्षक
होगे " ।


31/1/02
[एच. एस. भारद्वाज]
शासन उप सचिव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. तमस्त तैभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. तमस्त जिला क्लर्क, राजस्थान।
5. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्याय, तमस्त।
8. रक्षित पत्रावली।


31/1/02
शासन उप सचिव

लेखराज/

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शहरी विभाग

क्रमांक: 11431 दिनांक/डीएलसी/2001/1

दिनांक: 1.1.2002

परिपत्र

विषय:- नगर निगम/परिषद/बोर्ड और नगर सुधार न्यासी/जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित भूमि पर आवासीय प्रयोजन के लिए निर्माण कर किए गए अनाधिकृत कब्जों के नियंत्रण एवं व्यवस्थिकरण-
रेगुलेशन नो. 1।

नगरीय स्थानीय निकायों में निहित आबादी भूमि पर 21.8.1971 से पूर्व किए गए अनाधिकृत कब्जों एवं निर्माणों के विनियमन एवं व्यवस्थिकरण हेतु स्वायत्त शहरी विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक:एस.711871एल.न.जी./53/1151/1632 जयपुर, दिनांक:5/9 मई, 1977 जारी किया गया था। परंतु इतने समस्याओं का अभी तक पूर्ण समाधान नहीं हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा 26.1.2002 से "प्रागतन शहरों के संग" अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है। अतः जनहित में आवासीय समस्या के समुचित समाधान को दृष्टि में नगरीय स्थानीय निकायों में निहित भूमि पर 31.12.1991 तक निर्माण कर किए गए अनाधिकृत कब्जों के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 297 उपधारा 80 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. जहां कहीं 31.12.1991 तक नगरीय निकायों व नगर सुधार न्यासी/जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित भूमि पर अतिक्रमण की सूचना स्वतः अथवा अतिक्रमण के दसो अवदन के फलस्वरूप प्राप्त हुई हो या जिसके संबंध में कोई कार्यवाही पहले से चलायी गई हो, ऐसे मामलों में संबंधित स्थानीय निकाय के सचिव/आयुक्त/अधीक्षक अधिकारी द्वारा जांच कर कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
2. अगर अतिक्रमण का पुनर्व्यवस्थापन सम्भव नहीं है, तथा अतिक्रमण व उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर संबंधित नगरीय क्षेत्र में कोई आवास अथवा आवासीय भूखंड नहीं है तो निम्नानुसार नियम दर की कसौ करीत हुए निर्धारित क्षेत्रानुसार नियम किया जाये:-
1. 150 वर्ग गज तक की आबादी भूमि का नियम आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि कसौ करीत हुए किया जाये।
2. 150 वर्ग गज से अधिक परंतु 300 वर्ग गज तक की आबादी भूमि का नियम आवासीय आरक्षित दर के अनुसार राशि कसौ कर किया जाये।
3. उक्तानुसार नियम आवासीय प्रयोजनार्थ ही किया जाये, व्यावसायिक या अन्य प्रयोजनार्थ नहीं।

---2---

(57)
(398)

4. निर्धारित अतिरिक्त/कब्जा 31.12.1991 से पूर्व होने के संबंध में निम्न साक्ष्य मान्य होंगे:-

111 राशनकार्ड, 121 बिजली-पानी का बिल, 131 मतदाता सूची में नाम

141 डाक से प्राप्त पत्र 151 अन्य कोई साक्ष्य जो यह साबित करे कि प्राप्ति

31.12.1991 से पूर्व प्रमाण बनाकर कायम है। इनके अलावा दो स्वतंत्र गवाहों के हलफनामों भी प्राप्त किये जावें।

5. केवल न्यूनतम निर्दिष्ट क्षेत्र का ही नियमन किया जाये।

6. उपर्युक्तानुसार नियमन संबंधित कमेटी जो निगम/परिषद/मंडल द्वारा गठित की गई है, के द्वारा किया जायेगा। जहाँ कमेटी गठित नहीं है, वहाँ निजाम के अध्यक्ष व आयुक्त अधिष्ठाता अधिकारी व ब्लेस्टर का एक मनोनीत अधिकारी संयुक्त रूप से निर्णय लेगी।

7. उक्त कमेटी को स्वोक्ति उपरान्त संबंधित आयुक्त/अधिष्ठाता अधिकारी द्वारा नियमानुसार नियमन आदेश जारी करते हुए सील/पट्टा जारी किया जायेगा।

8. ऐसी जमीन भी भूमि का नियमन नहीं किया जायेगा जो राजकीय भूमि होते हुए कृषि से और कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की जानी है, देवस्थान, वक्फ, जंगलात, इस्लाम/कब्रिस्तान की भूमि है अथवा जिसके लिए किसी भी प्रमुख विधि के अंतर्गत कोई आवेदन कार्यवाही विचाराधीन है या जो किसी रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय अथवा नगर पालिका सड़क के निर्माण दूरी वाले क्षेत्र में स्थित है।

9. इसके अलावा ऐसी राजकीय भूमि जिनका कृषि भूमि से गैर-कृषि प्रयोजनार्थ नियमन किया जाना है, इस परिपत्र के तहत नियमन नहीं किया जायेगा। ऐसी भूमियों के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

10. इस नियमन का तात्पर्य संबंधित आर्पटक 31.3.2002 तक उठाये सकेगा।

11. इस संबंध में पूर्वी में जारी परिपत्र क्रमांक:सफ.71187/एलएसजी/58/1151-1632 जयपुर, दिनांक 5/9 मई, 1977 एतद् द्वारा पुनरावृत्त किया जाता है।

EO/-

शासन सचिव

क्रमांक:प. 11ग11 11नियम/डीएमजी/2001/2-408

दिनांक: 1.1.2002

प्रतिनिधि भूदानार्थ एवं आकषक कार्यवाही हेतु द्रष्टव्य है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री भंडो देव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, जहाँ देव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. कार्यवाही/सम्पत्ति/अर्थ, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
4. सहायक जिला ब्लेस्टर, राजस्थान।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिष्ठाता अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
6. उपनिदेशाधिकारियों, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. सुरक्षित फाइल।

(52)
(399)

शासन सचिव